न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी—मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या— 2022/233

श्रवणलता पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद पत्नी श्री संजय नन्दवाना जाति ब्राहम्ण निवासी नीमडीपाडा, तहसील अंता जिला बारां(राज0)।

— अपीलांट

बनाम

1. प्रेमलता पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद पत्नी अरविन्द जाति ब्राहम्ण निवासी जमना पान की गली, पीपलेश्वर महादेव मंदिर के पास, कोटड़ी, कोटा(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—(1). मुकेश मीणा— अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय **दिनांक 08.08.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रेक) इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 27/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलांटगण प्रार्थीगण ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि यह कि ग्राम अयानी तहसील पीपल्दा, जिला—कोटा राज मे मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073—76 मे खसरा नम्बर— 854 रकबा 0.26 हे० खसरा नम्बर 856 रकबा 3.34 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 3.60 हे० भूमि स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता स्व० रामेश्वरप्रसाद पुत्र गोविन्दराम ब्राहम्ण के खातेदारी मे दर्ज है जिसे प्रार्थनापत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी के खातेदार प्रार्थी के पिता रामेश्वरप्रसाद पुत्र गोविन्दराम का स्वर्गवास दिनांक

25/08/2020 को हो चुका है। स्व० श्री रामेश्वरप्रसाद जी की वृद्धावस्था में प्रार्थी ही अपने पिता के साथ ही निवास करके उनकी हारी बीमारी में सेवा व सुश्रुषा कर रही थी. इस कारण प्रार्थी की सेवाभाव व सेवा व सुश्रुषा से प्रसन्न होकर प्रार्थी के पिता श्री रामेश्वरप्रसाद जी ने अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए दिनांक 06/05/2020 को एक वसीयत आलेखित करवा कर निष्पादित कर दो साक्षीगण से अनुप्रमाणित कर, नोटेरी के समक्ष प्रमाणित करवा कर विवादित आराजी का एकमात्र वसीयती उत्तराधिकारी प्रार्थी को बना दिया। स्व० रामेश्वर जी ने अपनी मृत्यु के बाद विवादित आराजी को उपयोग उपभोग करने, प्रार्थी को अपने खाते दर्ज करवाने, काश्त करने आदि अधिकार प्रार्थी को अपने जीवनकाल में प्रदान कर दिये थे। प्रार्थी ने अपने पिता के पास उनके जीवनपर्यंत निवास किया तथा अपने पिता व उनकी सम्पति की देखभाल उनके जीवनकाल से ही करती चली आ रही है तथा प्रार्थी ही अपने पिता के स्वर्गवास के बाद से ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त में चली आ रही है. उपरोक्त वसीयत प्रार्थी के पिता स्व० रामेश्वरप्रसाद जी की प्रथम व अन्तिम वसीयत है। स्व० रामेश्वर प्रसाद जी के वारिसान में प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 दोनो पुत्रिया मोजूद है ।प्रार्थी की माता स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है। विवादित आराजी पर स्व० खातेदार रामेश्वर प्रसाद द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक–06/05/2020 के द्वारा प्रार्थी ही विवादित आराजी की एकमात्र विधिक वसीयती उत्तराधिकारी है तथा प्रार्थी विवादित आराजी की खातेदार कृषक हो चुकी है, प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी कम 2 से कई बार निवेदन करने पर भी विवादित आराजी को प्रार्थी के नाम खाते दर्ज नहीं कर रहा है इस कारण प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि यह वियादित आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाये तथा इस हेतु विवादित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये । विवादित आराजी प्रार्थी के पिता के खाते की आराजी है तथा वसीयत दिनांक–06/05/2020 के मुताबिक प्रार्थी विवादित आराजी की एकमात्र खातेदार काबिजी कृषक है किन्तु अप्रार्थी वादी कम 2 प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने पर भी प्रार्थी का नाम विवादित आराजी पर दर्ज नहीं कर रहा है तथा अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी पर प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने का लाभ उठाकर विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाने तथा विवादित आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थी कम ने दिनांक–10/06/2021 को प्रार्थी को धमकी दी कि विवादित आराजी मेरी है तथा उपरोक्त आराजी पर में कब्जा करके रहूगी विवादित आराजी प्रार्थी के स्वामित्व कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर अप्रार्थी कम 1 अप्रार्थी कम 2 से मिलिभगत करते हुए विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज करने पर आमादा है जिसका कि अप्रार्थी कम

1 व 2 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी कम 1 अपनी ताकत के बल पर विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने तथा बादी को बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में आये दिन मदाखलत व मजाहमत करता रहता है। अप्रार्थी 1 ने दिनांक–10/06/2021 को विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी है, इस कारण प्राथी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थी कम 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये । प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है, तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में यदि अप्रार्थी कम ने विवादित आराजी को खुर्द बुर्द रहन बेचान कर दिया या प्रार्थी को विवादित आराजी पर से बेदखल कर दिया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है जिसका कि मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा. प्रार्थी को अनावश्यक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अन्त में प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित ग्राम अयानी पटवार क्षेत्र अयानी, तह0 पीपल्दा, जिला–कोटा राज खसरा नम्बर–854 रकबा 0.26 हे०. खसरा नम्बर–856 रकबा 334 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.60 हे0 भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द रहन, वैचान, दान आदि या किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे तथा विवादित आराजी पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 25.03.2022 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 25.03.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन

नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किये एक माह से अधिक का समय हो जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित नही होने से तामील मानी गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस मे अपील मेमो व लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कि अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस आशय की अपील पेश की गई है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2022 को इस आशय का आदेश पारित किया कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद के द्वारा एक वसीयत दिनांक 26.08.2020 को आलेखित करवाया और कहा कि आराजी खसरा नम्बर 854 की रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 856 की रकबा 3.34 हैक्टर कुल 2 किता की रकबा 3.60 हेक्टर आराजी स्थित चली आ रही है. जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट व रेस्पाडेन्ट के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद पुत्र गोविन्दलाल ब्राह्मण के खाते में दर्ज है। रामेश्वर प्रसाद पुत्र गोविन्दलाल का स्वर्गवास दिनांक 25.08.2020 को हो चुका है। रेस्पोडेन्ट ही रामेश्वर प्रसाद की वृद्धावस्था में तथा हारी बीमारी में सेवा सुश्रुषा करती थी। इस कारण रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद ने उसकी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर एक वसीयत दिनांक 06.05.2020 को आलेखित करवाकर निष्पादित करवा दी और साक्षीगण से अनुप्रमाणित करवाकर नोटेरी से प्रमाणित करवा दिया और उक्त आराजी का एकमात्र उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट को बना दिया तथा वसीयत के आधार पर रेस्पॉडेन्ट उक्त आराजी पर काश्त करने व अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिये रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी की एकमात्र खातेदार कृषक हो चुकी है। इस आधार पर उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। उक्त वाद में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि विवादित आराजी को किसी प्रकार रहन, वैय हिबा, आदि नहीं करे और ना ही किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत कर और ना ही रेस्पोडेन्ट को बेदखल करें। वाद वर्णित आराजी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद की माता जगन्नाथी बाई बैधा गोविन्दराम की आराजी थी, जो स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें

अपीलांट का जन्म से ही हक व अधिकार निहित चला आ रहा है। चूंकि अपीलाट का जन्म स्वर्गीय जगन्नाथ बाई की मृत्यु होने के पूर्व ही हो चुका था इसलिये जन्म से ही अपीलांट का उक्त आराजी पर हक हिस्सा निहित चला आ रहा है। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी की मृत्यु भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन के लागू होने के पश्चात दिनांक 2508.2020 को हुई है इसलिये भी अपीलांट को स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद की सम्पत्ति में हक व अधिकार प्राप्त है। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी वृद्ध व्यक्ति थे, जिनकी आयु 84 वर्ष के लगभग थी. वह बीमार रहते थे तथा उनका पैर टूटा हुआ था और आंखों से कम दिखाई देता था। उनका ईलाज चल रहा था। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद पैसे सेवानिवृत्त अध्यापक थे. जिनकी फर्जी व अवैध वसीयत दिनांक 06.05.2020 को रेस्पोडेन्ट के द्वारा धोखे में रखकर उनकी जानकारी के बिना अंगूठा निशानी लगाकर तैयार कर ली है जबकि स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वह अपने हस्ताक्षर करते थे। इस आधार पर भी उक्त वसीयत के हक अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद की पत्नी की मृत्यु भी सन् 2014 में हो चुकी थी और यह बीमार रहते थे इसलिये वह छः–छः माह दोनो पुत्रियों के पास निवास करते थे। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद ने पूर्व में कोई वसीयत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आलेखित नहीं की है तथा यह दोनों ही पुत्रियों को बराबर–बराबर सम्पतियां देना चाहते थे इसके लिये उन्होनें सहगति–पत्र दिनांक 03.06.2017 आलेखित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि उन्होनें किसी को भी गोद पुत्र नहीं रखा है और ना ही किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत आलेखित नहीं की है और ना ही भविष्य में कोई वसीयत आलेखित करेगें साथ ही एक बंटवारानामा भी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद ने अपने जीवनकाल में निष्पादित करवाया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि मेरे दो पुत्रियां है तथा दोनों को ही मैं पूरी सम्पत्तियों में बराबर–बराबर हिस्सा देना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी आलेखित किया कि तीन दुकानें है, जो बजरंग है, उसमें भी बराबर–बराबर हिस्सा होगा तथा दो मकान पीपलेश्वर महादेव छावनी में स्थित है. जिसमे भी बराबर–बराबर हिस्सा दोनों पुत्रियां प्राप्त करेगी तथा ग्राम अयानी में आराजी स्थित है उसमें भी दोनों पुत्रियां बराबर–बराबर काश्त करेगी तथा अपने हिस्से में दर्ज करवायेगी। इससे यह स्पष्ट है कि स्व0 रामेश्वर प्रसाद ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तियों में 1/2 1/2 हिस्सा निहित कर दिया था और उसके अनुसार ही उनका कब्जा व हक अधिकार चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्व० रामेश्वर प्रसाद की बीमारी का फायदा उठाकर धोखे व छल कपट से एक फर्जी एवं अवैध वसीयत बिना रजिस्टर्ड स्टाम्प पर तथा खाली कागजों पर अंगूठा

निशानी प्राप्त कर फर्जी व अवैध वसीयत दिनांक 06.05 2020 तैयार कर ली और ग्राम अयानी की सम्पूर्ण आराजी को अपने पक्ष में वसीयत निष्पादित करवाकर जबरन आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे तथा उक्त वसीयत के आधार पर ही खातेदारी दावा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्व० रामेश्वर प्रसाद ने कोई वसीयत निष्पादित ही नहीं की है । उक्त फर्जी व अवैध वसीयत की जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट ने एक वाद–पत्र उक्त वसीयत को अवैध प्रभाव शून्य घोषित करने के सम्बंध में माननीय जिला न्यायाधीश, कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसने वसीयत दिनांक 06.05.2020 को चैलेन्ज किया गया तथा स्व० रामेश्वर प्रसाद की सम्पूर्ण सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के लिये बटवारा का दावा भी पेश किया गया। उक्त वाद–पत्र में वसीयत दिनांक 06.05.2020 की जिनाईनेस को चैलेन्ज किया गया। चूंकि वसीयत की जिनाईनेस के सम्बंध में वाद–पत्र जिला न्यायाधीश, नम्बर 2, कोटा के यहां विचाराध न है। जब तक उक्त वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा वसीयत के आधार पर कोई खातेदारी प्रदान नहीं कर सकते। उक्त आराजी पैतृक आराजी है, जो स्व० जगन्नाथी बाई की आराजी थी। स्व0 रामेश्वर प्रसाद को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है तथा जगन्नाथी बाई के जीवनकाल में ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का जन्म हो चुका था इसलिये स्व० रामेश्वर प्रसाद को सम्पूर्ण आराजी की वसीयत करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं था। चूंकि पैतृक आराजी की वसीयत अपने हक हिस्से तक ही की जा सकती है. परंतु स्व0 रामेश्वर प्रसाद की वसीयत सम्पूर्ण आराजी के सम्बंध में निष्पादित होना बताया है जो प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है इसलिये माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पारित किया गया स्थगन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा वसीयत की जिनाईनेस व पैतृक आराजी के सम्बंध में पारित किये हैं, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोहित चौहान बनाम सुरेन्द्र सिंह दिनांक 15.07.2013 को पारित किया है. जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि पैतृक आराजी एवं अविभाजित आराजी में जन्म ही हक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर भी वसीयत के आधार पर पारित किया गया स्थगन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी में 1 / 2 हक हिस्सा निहित है, जिस पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट ने उक्त आराजी पर मेडबंदी की हुई है. परंतु रेस्पोडेन्ट वसीयत के आधार पर अपीलांट के हक हिस्से वाली भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहती है इसलिये अपीलांट ने समय–समय पर थानाधिकारी अयाना

के यहां आवेदन प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट का उसके हक हिस्से वाली भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, परंतु रेस्पोडेन्ट फर्जी व अवैध वसीयत के आधार पर अपीलांट के हक हिस्से वाली भूमि पर कब्जा करना चाहती है। रेस्पोडेन्ट ने इक्वीटी के विरूद्ध कार्य किया है। इस आधार पर भी रेस्पोडेन्ट का स्थगन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। उक्त न्यायिक निर्णय RRT 2010 (1) Page 350 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्णय पारित किया कि "पैतृक आराजी में अपीलांट का जन्म से ही हक अधिकार निहित रहता है।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय DNJ 2022 (1) SC Page 144 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि वसीयत छल कपट व धोखे से तैयार की गई है और उसकी जिनाईनेस पर आक्षेप किया गया है तथा वह दो गवाहों के द्वारा साबित नहीं हो जाती है, तब तक उक्त वसीयत को साबित नहीं माना जाता।" माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने न्यायिक निर्णय RRT 2022 (1) Page 259 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि – "रजीराम मृतक का जाईन्दा पुत्र है तथा उसके पुत्र न होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है इसलिये एक पुत्र के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत अवैध है।" उपरोक्त न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय में साबित नहीं कर दिया जाता है और दो गवाहों से प्रूव नहीं कर दिया जाता है तब तक उपखण्ड अधिकारी इटावा किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते। चूंकि वसीयत को चैलेन्ज एकमात्र रूप से सिविल कोर्ट में ही किया जा सकता है, जिसके सम्बंध में अपीला न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नम्बर कोटा के यहां वाद पेश किया हुआ है। इस कारण जब तक न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नम्बर 2 कोटा के यहा से वसीयत के सम्बंध में न्यायिक निर्णय पारित नहीं हो जाता है तब तक किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अपीलाट के द्वारा माननीय उपर जिला न्यायाधीश, नम्बर 2 कोटा के बाद व ऑर्डर की प्रति एवं स्व० जगन्नाथी बाई के सेटलमेन्ट के समय की जमाबंदिया एवं राजस्व रिकॉर्ड पूर्व में प्रस्तुत कर दिया है. जिसमें माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुये रिकॉर्ड पर लिया हुआ है जो शामिल पत्रावली है। उक्त दस्तावेजों का भी अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट ने स्वयं रामेश्वर प्रसाद को इस सम्पत्ति के सम्बंध में जो वसीयत दिनांक 0605.2020 बतायी जा रही है उसे सक्षम सिविल न्यायालय में साबित करना पडेगा, जिसके लिये धारा 63 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार बिल को दो गवाह से अनुप्रमाणित किया जाये और तदुपरान्त वसीयतनामा पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को उसकी उपस्थिति में किया

जाना साबित करना होगा तथा वसीयत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार ऐसे दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना आवश्यक है. जिसकी अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। जब तक कि वह कम से कम एक गवाह के द्वारा अनुप्रमाणित नहीं कर दी जाती जब तक वह न्यायालय में साक्ष्य के लिये नहीं बुलवा लिया जाये। इस प्रकार वसीयतनामा दिनांक 06.05.2020 को धारा 63 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पूर्व होना आवश्यक है, जिसके सम्बंध में अपीलाट ने सक्षम सिविल न्यायालय में उक्त वसीयतनामा को चैलेन्ज किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट वसीयतनामा दिनांक 06.05.2020 के आधार पर स्वयं को मालिक बता रही है, परंतु एक तरफ वसीयत के आधार पर घोषणा की सहायता चाही गई है। इस कारण जब तक वसीयतनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट स्वयं को उत्तराधिकारी साबित नहीं कर देती तब तक रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किसी प्रकार की कोई सहायता अर्थात् स्थगन आदेश व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। चूंकि रेस्पोडेन्ट ने उक्त वसीयतनामा दिनांक 06.05. 2020 को धोखे से तैयार की है। चूंकि स्व0 रामेश्वर प्रसाद वसीयत करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि वह चलते फिरते नहीं थे और वह स्वस्थ नहीं थे। यदि वह स्वयं वसीयत करते तो उक्त वसीयत को रजिस्ट्रार कार्यालय के यहां उपस्थित होकर रजिस्टर्ड करवाते, परंतु उन्होंने ऐसा नही किया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 06.05 2020 धोखे एवं छल से तैयार की गई है। अपीलाट एवं रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजी पर स्व0 रामेश्वर प्रसाद ज़ी के जीवनकाल में ही 22 बीघा जमीन पर 11–11 बीघा जमीन पर कब्जा कारत था तथा दोनों ने 22 बीघा जमीन पर मेडबंदी कर बीघा जमीन अलग–अलग कर रखी थी. परंतु रेस्पोडेन्ट उक्त छल कपट एवं घोखे से तैयार की गई बशीगत दिनांक 06.05.2020 के आधार पर अपीलाट के हक हिस्से की 11 बीघा जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लेना चाहती है जबकि अपीलाट ने अपने हिस्से की भूमि पर ज्वार की बुआई की हुई है इसलिये रेस्पोडेंन्ट का प्रथम दृष्ट्या कंस भी नहीं है और सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है और ना ही अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपेक्षा अपीलाट को होने वाली है। पैतृक सम्पत्ति की वसीयत प्यार व स्नेह से भी नहीं की जा सकती है। यह तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय निर्णयों में प्रतिपादित की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 25.03.2022 को उपरोक्त वर्णित न्यायिक निर्णयों की रोशनी में निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की है जिसके अनुसार ग्राम अयानी तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 244 में दर्ज खसरा 854 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 856 रकबा 3.34 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.60 हैक्टेयर रामेश्वरप्रसाद पुत्र गोविन्दराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्म्ण सा.कोटा कोटड़ी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र की है जिसके अनुसार रामेश्वर प्रसाद नन्दवाना की मृत्यु दिनांक 25.08.2020 अंकित है। फोटोप्रति अपंजीकृत वसीयतनामा 06.05.2020 की है जिसके अनुसार रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा ग्राम अयानी तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 244 में दर्ज खसरा 854 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 856 रकबा 3.34 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि की वसीयत उसकी पुत्री प्रेमलता पत्नि अरविन्द कुमार नन्दवाना के पक्ष में आलेखित किया जाना अंकित है। फोटोप्रति आधार कार्ड प्रेमलता पत्नी अरविन्द कुमार की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत फोटोप्रति इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 151 जा.फौ. थाना अयाना जिला कोटा ग्रामीण की है तथा इसके साथ रोजनामचा का विवरण, मुचलका हिफ्ज अमन, तथा थाना अयाना की कार्यवाही के विवरण की फोटोप्रतियां संलग्न है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना तथा यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अप्रार्थी अपीलांट दोनो स्वर्गीय रामेश्वर की पुत्रियॉं है। दोनो पक्षकारों के मध्य पिता की सम्पत्ति को लेकर विवाद है। सहमति पत्र दिनांक 30.06.2017, सहमति बंटवारा पत्र दिनांक 13.08.2014 अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 06.05.2020 आदि दस्तावेजों तथा भूमि की प्रकृति पैतृक है अथवा स्वअर्जित आदि सभी बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय मूलवाद में साक्ष्यों, गवाहों, दस्तावेजों आदि पर विवेचन के पश्चात तय होंगे। प्रकरण में स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तथा अप्रार्थी अपीलांट दो सगी बहने है तथा दोनो ने विवादित भूमि पर स्वयं का स्वत्व व काश्त का कथन किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट बिन्दुवार निर्णय पारित करना चाहिए था। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि एकतरफ तो अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन के बाद अपनी फाइंडिंग में माना कि, "अतः वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी खुर्द–बुर्द या बेचान, रहन न हो इस बाबत प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।" वहीं दूसरी तरफ केवल अप्रार्थी अपीलांट को पाबंद कर दिया। हमारे मत में प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों एवं विधि की स्थिति को संज्ञान में रखते हुए दोनो

पक्षकार रामेश्वर के वारिस होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण दोनो के पक्ष में प्रतीत होता है। अपीलांट ने मौके पर स्वयं का कब्जा–काश्त होने का कथन किया है। हालांकि न्यायालय हाजा में बावजूद सूचना के रेस्पोडेन्ट प्रार्थी उपस्थित नहीं होने से मौके पर कब्जे–काश्त की सही स्थिति के सम्बंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन उभयपक्ष की तरफ बराबर प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 17.09.2022 माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–2, कोटा के आदेश की प्रस्तुत फोटोप्रति में भी उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति तथा रिकॉर्ड की स्थिति आगामी तिथि तक यथावत बनाए रखने का आदेश दिया गया है। चूंकि विवादित भूमि को लेकर दोनो सगी बहनो के हक अधिकार मूलवाद के निर्णय में साक्ष्य आदि के उपरांत गुणावगुण पर तय होने है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट अप्रार्थी तथा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना उचित होगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.03.2022 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है तथा उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक विवादित भूमि को संरक्षित रखने हेतु मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित होगा।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 27/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 खारिज किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के अंतिम निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा उभयपक्ष विवादित भूमि को रहन, बेचान, अंतरण आदि नहीं करे।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा